संख्या- 08/2016/205/बयालिस-2016-67(निर्माण)/2006

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2016**

विषय- जनपद सिद्धार्थनगर में स्पोर्टस स्टेडियम में तरणताल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1066/नि0 सिद्धार्थनगर स्टे0/2015-16, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 3187/बयालिस-2008-67(निर्माण)/2006, दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु रू0 502.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या- 2455/बयालिस-2015-67(निर्माण)/2006, दिनांक 12 जनवरी, 2016 द्वारा निर्गत रू0 592.55 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय जनपद सिद्धार्थनगर में स्पोर्टस स्टेडियम में तरणताल के निर्माण हेतु मूल प्रशासकीय स्वीकृति एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के अन्तर की धनराशि वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित एकमुश्त धनराशि रू0 158.26 लाख में से रू0 89.75 लाख (रू0 नवासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 89.75 लाख (रू0 नवासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(3)- प्रायोजना के अन्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता परक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6)- शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या- 3187/बयालिस-2008-67(निर्माण)/2006, दिनांक 25 फरवरी, 2009 एव शासनादेश संख्या- 2455/बयालिस-2015-67(निर्माण)/2006, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के अनुसार यथावत रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-25-जिला योजना के अधूरे कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/ 2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 08/2016/205(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in